बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

–:: संकल्प ::–

विषय – **कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का पुनर्गठन।**

कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का गठन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–508, दिनांक–14.04.2011 द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। जिसमें माननीय मंत्री, वित्त, कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गन्ना उद्योग, उद्योग, सहकारिता, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ऊर्जा, योजना एवं विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सूचना प्रावैधिकी, पंचायती राज, पर्यावरण एवं वन, सदस्य के रूप में नामित किये गये थे। इसके बाद संकल्प संख्या–697, दिनांक–11.05.2011 द्वारा उक्त मंत्रिपरिषदीय समिति में पूर्व से नामित सदस्यों के अलावा माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन को भी इस समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

2. पूर्व में कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की स्वीकृति दी जा चुकी है। कृषि रोड मैप में दिये गये मार्गदर्शनों का विभागों के द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों की समय–समय पर समीक्षा एवं तत्संबंधी सुझाव देने हेतु अभी भी इस समिति की आवश्यकता बनी हुई है तथा दिनांक–22.02.2015 के प्रभाव से नये मंत्रिमंडल का गठन कियागया है। अतः, वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

3. अतः कार्यपालिका नियमावली के नियम 32क (XXi) के आलोक में कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का पुनर्गठन निम्नवत किया जाताहै :–

(क) कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति के अध्यक्ष सहित निम्न सदस्य होंगे :–

I	माननीय मुख्यमंत्री	:–	अध्यक्ष
II	माननीय मंत्री, वित्त	:–	सदस्य
III	माननीय मंत्री, कृषि	:–	सदस्य
IV	माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन	:–	सदस्य
V	माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग	:–	सदस्य
VI	माननीय मंत्री, उद्योग	:–	सदस्य
VII	माननीय मंत्री, सहकारिता	:–	सदस्य
VIII	माननीय मंत्री, जल संसाधन	:–	सदस्य
IX	माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन	:–	सदस्य
X	माननीय मंत्री, ऊर्जा	:–	सदस्य
XI	माननीय मंत्री, योजना एवं विकास	:–	सदस्य
XII	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार	:–	सदस्य
XIII	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास	:–	सदस्य
XIV	माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य	:–	सदस्य
XV	माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	:–	सदस्य
XVI	माननीय मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी	:–	सदस्य

XVII	माननीय मंत्री, पंचायती राज	:–	सदस्य
XVIII	माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन	:–	सदस्य
XIX	माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन	:–	सदस्य
XX	माननीय मंत्री, शिक्षा	:–	सदस्य

(ख) कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति के बैठकों में राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेंगे।

(ग) मुख्य सचिव कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति के सचिव होंगे।

(घ) कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का नोडल विभाग, कृषि विभाग, बिहार, पटना होगा।

(ङ) कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति को सचिवालीय सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–05/2011 ..../पटना–15, दिनांक............. जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री के आप्त सचिव/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/उपाध्यक्ष, राज्य योजना पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–05/2011 ....927..../पटना–15, दिनांक....30.. जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/सभी संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव